

## प्रेस नोट 10.05.2019

1.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री जहीरुद्दीन खॉ पुत्र स्व० नसीरुद्दीन निवासी हौसिला नगर थाना को०नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं० यूपी 42 एक्स 1967 पैशन प्रो चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 365/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री निहालुद्दीन पुत्र स्व० सैयद मोहम्मद अलाउद्दीन निवासी कजियाना थाना रा०ज०भू०, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रमाकान्त पाण्डेय पुत्र शिवमूर्ति पाण्डेय निवासी बाग बिजेशी हैबतपुर थाना को०अयोध्या, अयोध्या अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचना करके वादी की खतौनी में राज बहादुर पुत्र सूर्य नरायन का नाम अंकित करा देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 366/19 धारा 419, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री जिगरी पुत्र राम अधार निवासी हांसापुर थाना कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कुलदीप मिश्रा निवासी हांसापुर थाना कैण्ट, अयोध्या अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर वादी को मारना पीटना, जाति सूचक गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 179/19 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि व 3(2)5 एससी/ एसटी एक्ट भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री रामकुमार पाल पुत्र राम अवध निवासी रामपुर अहिरौली थाना हैदरगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं० यूपी 42 के 2089 स्पेलेण्डर प्लस चोरी कर लेना जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 276/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री शोभित कुमार पाण्डेय पुत्र अखिलेश पाण्डेय निवासी रामापुर थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं० यूपी 44 एम 3477 हीरो होण्डा चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना रा०ज०भू० में मु०अ०सं० 48/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

6.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री आनन्द कुमार पाण्डेय पुत्र रमाकान्त पाण्डेय निवासी बिहारीपुर थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 जीवी 2856 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे वादी का गम्भीर रूप से घायल हो जाना व मो0सा0 क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 213/19 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

7.दिनांक 09.05.19 को वादी उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. नीरज कुमार पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र निवासी जगदीशपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया 2. संजीव जाटव पुत्र राजेन्द्र जाटव निवासी भीखेपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया 3. नीरज कुमार पुत्र प्रभु दयाल निवासी रजपुरा थाना अजीतमल जनपद औरैया आदि 08 नफर अभि0गण द्वारा नम्बर प्लेट बदल कर स्कार्पियो से सफर करना। पुलिस पार्टी द्वारा रोके जाने पर एक राय होकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर करना व पकड़े जाना अभि0 नीरज कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र के कब्जे से 01 अदद तमंचा 02 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर तथा अभि0 संजीव जाटव के कब्जे से 01 अदद तमंचा, 01 जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 206/19 207/19 208/19 धारा 147, 148, 149, 307, 420, 467, 468 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

8.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री गंगा प्रसाद पुत्र रामलौट निवासी उरूवा वैश्य थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संजय यादव पुत्र शीतला प्रसाद निवासी उरूवा वैश्य थाना इनायतनगर, अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी के गुमटी के ऊपर रखे छप्पर में आग लगा देना, उलाहना देने पर मारना पीटना, गाली गुप्ता व धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 221/19 धारा 435, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

9.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री शिवाकान्त चौहान पुत्र राम धनी चौहान निवासी लोनिया का पुरवा मजरे मरु शिवाला थाना कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि झगरू पुत्र प्रताप निवासी शाहगंज कोटिया चौराहा थाना इनायतनगर, अयोध्या आदि 02 नफर व 3-4 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा शराब पीने के लिए वादी से पैसा मांगना, न देने पर एक राय होकर लाठी डण्डा व लात घूसो से मारना पीटना, 7000/ रूपये व एटीएम कार्ड छीन लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 222/19 धारा 147, 323, 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

10.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री बबलू पुत्र जान मोहम्मद निवासी पूरे रसूलबक्श थाना को0रुदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 आमीर पुत्र यूसुफ निवासी कस्बा सोफियाना थाना को0रुदौली,

अयोध्या अभियुक्त द्वारा सोलर की बैटरी चोरी करना तथा बैटरी सहित पकड़े जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रूदौली में मु0अ0सं0 158/19 धारा 379, 411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री गनेश पुत्र सोमई निवासी सड़री थाना को0रूदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नन्हकू पुत्र रामदीन निवासी सड़री थाना को0रूदौली, अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा वादी व परिजन को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रूदौली में मु0अ0सं0 159/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12.दिनांक 09.05.19 को वादी श्री नन्हकू पुत्र रामदीन निवासी सड़री थाना को0रूदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम गनेश पुत्र सोमई निवासी सड़री थाना को0रूदौली, अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा वादी व परिजन को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रूदौली में मु0अ0सं0 160/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।